ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

दिव्यांग संजु ने भरी
हौसले की उड़ान
(पृष्ठ – 02)

पटरी पर लौट रहा
मालती दीदी का जीवन
(पृष्ठ – 03)

जीविका का मिला सहारा,
अर्चना ने अपने जीवन को संवारा
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – नवंबर 2023 ।। अंक – 28

योजना से आर्थिक सशक्तीकरण के साथ सामाजिक विकास

बिहार में शराबबंदी लागू होने के पश्चात इससे प्रभावित परिवारों एवं अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन के स्थायी साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगस्त 2018 में सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शराबबंदी से प्रभावित परिवारों के साथ–साथ समाज के अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही इन परिवारों को इतना सक्षम बनाया जाता है, ताकि वे जीविकोपार्जन के इन साधनों का संचालन स्वयं कर सकें और इससे आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन सकें। बिहार सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की थी, वह अब फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र में शुरू की गई इस योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे शहरी क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के लाभुक इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि सतत् जीविकोपार्जन योजना ने अत्यंत निर्धन परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में सफलता पाई है। समाज के ऐसे निर्बल परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से सबल बनाया गया है। अब वे आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के सफल क्रियान्वयन में जीविका सामुदायिक संगठनों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। योजना हेतू लक्षित परिवारों की पहचान, लाभार्थी परिवारों को योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा जीविकोपार्जन के साधनों के सृजन हेतु सामुदायिक संगठन महत्त्वपूर्ण भुमिका निभा रहा है। स्थानीय स्तर पर जीविका महिला ग्राम संगठन के नेतृत्व में सामुदायिक संसाधन सेवियों के द्वारा अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की जाती है। साथ ही ग्राम संगठन के माध्यम से ही लाभार्थी परिवारों को योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। खास बात यह है कि जीविकोपार्जन का चयन लाभार्थी परिवारों की योग्यता, क्षमता और उनकी इच्छा के अनुसार किया जाता है। आज राज्य भर में सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से 1.67 लाख लाभार्थी परिवारों द्वारा किराना दुकान, श्रृंगार दुकान, कपड़ा दुकान, नाश्ता दुकान, अंडा, फल एवं सब्जी की दुकान जैसे सूक्ष्म व्यवसाय किया जा रहा हैं। इसके अलावा बकरी, पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन आदि गतिविधियों का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। कई परिवारों के द्वारा सूक्ष्म व्यवसाय के साथ–साथ पशुपालन का भी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में राज्य के कई गाँवों में सतत् जीविकोपार्जन योजना संपोषित सूक्ष्म उद्यम का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार योजना के तहत लाभार्थी परिवारों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु रिटेल चेन का विकास किया जा रहा है।। इसके अलावा इस योजना के तहत क्लस्टर आधारित उद्यमों का भी विकास किया जा रहा है।

समाज के अत्यंत निर्धन परिवारों ने इस योजना की मदद से जीविकोपार्जन के विविध साधनों को अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। एक समय था जब इनके घरों में दो वक्त की रोटी का भी संकट था। कई ऐसे परिवार थे, जो पहले दूसरों के घरों में मांगकर गुजारा किया करते थे। लेकिन अब इस योजना की मदद से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर उन्होंने समाज में एक नई पहचान बनायी है। इन परिवारों को अब राशन कार्ड, बीमा, आवास योजना, स्वच्छ जल, शौचालय जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है।

रीता दीदी के जीवन में आई खुशहाली

रोहतास जिले के तुंबा गांव की रहने वाली रीता देवी ने सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से अपने परिवार को खुशहाल बनाया है। रीता देवी की शादी महज 16 साल की उम्र में ही वर्ष 2002 में हो गई थी। उनके पति अप्रत्यक्ष रूप से देशी शराब बेचने का कार्य करते थे। घर–गृहस्थी चलाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था। उनके पति शराब बेचने के साथ–साथ शराब का सेवन भी करते थे। शराब पीने की वजह से वह गंभीर बीमारी के शिकार हो गए थे। पति के अस्वस्थ रहने के कारण रीता देवी खुद शराब बेचने का काम करने लगी। लेकिन राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद रीता देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब वह जेल से छूटकर बाहर आई तो उन्होंने शराब बेचने से तौबा कर लिया। इसके बाद परिवार का पेट भरने के लिए वह मजदूरी करने लगी। लेकिन इससे परिवार की जरूरतों की पूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा था।

अपनी इस दयनीय स्थिति के बीच रीता देवी वर्ष 2018 में निधि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ गयी। कुछ दिनों बाद इन्हें पर्वत जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया। रीता देवी ने सतत् जीविकोपार्जन योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त कर एक किराना दुकान शुरू किया। दुकान शुरू होने के मात्र 2 माह के अन्दर ही उनके पति का देहांत हो गया। इस दु:खद परिस्थिति में रीता देवी ने बहुत हिम्मत से काम लिया। जीवन–यापन हेतु वह किराना दुकान का संचालन करती रही। अधिक लाभ की उम्मीद में वह किराना दुकान के साथ नाश्ता दुकान भी चलाने लगी। इस दुकान से रीता देवी को अच्छी आमदनी होने लगी है। रीता देवी अब किराना एवं नाश्ता दुकान चलाकर प्रतिमाह 5 से 6 हजार रुपये की आय अर्जित कर लेती है। इससे अब वह अपने परिवार का परवरिश अच्छी तरह कर पा रही है।

दिव्यांग संजु ने भरी हौसले की उड़ान

संजु देवी सुपौल जिला के निर्मली प्रखंड में सोनपुर गांव की निवासी है। बिहार सरकार की सतत् जीविकोपार्जन योजना के कारण उनके बुरे दिन अब खत्म हो चुके हैं। दोनों पैरों से दिव्यांग संजु देवी की शादी उनसे उम्र में 26 साल बड़े शिवनंदन मंडल से कर दी गई थी। शादी के बाद संजु देवी ने दो बेटियों को जन्म दिया। इस कारण संजु देवी के साथ उनका पति बुरा बर्ताव करने लगा था। ऐसी स्थिति में संजु अपनी बेटियों का अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पा रही थी।

संजु देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 2021 में उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षित किया गया। चयन के उपरांत संजु देवी ने कपड़ों की सिलाई के कामों में अपनी रुचि दिखाई। तदुपरांत योजना के तहत विशेष निवेश निधि के रूप में उन्हें 10 हजार रुपये उपलब्ध कराए गए। इससे उन्होंने एक हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन खरीदी और कपड़ों की सिलाई का काम करने लगी। जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत उन्हें व्यवसाय के लिए 20 हजार रुपये उपलब्ध कराए गए। इस राशि से ग्राम संगठन द्वारा सिलाई हेतु कपड़े एवं अन्य सामग्रियों की खरीद की गई। अब वह महिलाओं के कपड़ों की सिलाई के साथ–साथ इसे बेचने का भी कार्य करने लगी। संजु देवी के अच्छे व्यवहार और कपड़ों की उपलब्धता की वजह से बड़ी संख्या में जीविका दीदियां यहां आकर अपने कपड़े सिलवाती हैं। इससे संजु देवी को अच्छी आमदनी हो जाती है। संजु देवी अब कपड़ों की सिलाई से प्रति माह 9 से 10 हजार रुपये की आय अर्जित कर लेती है। दिव्यांग होने के बावजूद अब वह अपने पैरों पर खड़ी है और आत्मनिर्भर बन गयी है। उन्हें अपनी बेटियों के परवरिश हेतु किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। उनकी दोनों बेटियां पढ़ाई करने स्कूल जाती हैं। संजु बताती है कि सतत् जीविकोपार्जन योजना की वजह से उनके जीवन में आत्मविश्वास आया है।

पटरी पर लौट रहा मालती दीदी का जीवन

मालती देवी सारण जिले के गरखा प्रखंड के मिठेपुर गाँव की रहने वाली है। इनका परिवार पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़ा था। उनके पति ताड़ी संग्रहण के साथ–साथ मजदूरी भी करते थे। एक दिन ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के क्रम में पेड़ से अचानक गिर जाने से मालती दीदी के पति की मौत हो गई। पति के अचानक गुजर जाने से मालती दीदी एकदम बेसहारा हो गई। उनका परिवार दो वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गया था। ऐसे में मालती दूसरे के घरों में काम कर किसी तरह अपने परिवार का गुजर–बसर कर रही थी।

मालती देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए मोती जीविका ग्राम संगठन द्वारा वर्ष 2019 में उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किया गया। चयन के पश्चात उनका क्षमतावर्द्धन किया गया। इस प्रशिक्षण से दीदी का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा। तत्पश्चात उन्हें योजना के तहत विशेष निवेश निधि के रूप में दस हजार रुपये की आर्थिक मदद की गई। ग्राम संगठन द्वारा परिसंपत्ति के रूप में ठेला एवं दुकान हेतु बर्तन एवं अन्य सामग्रियां खरीद कर उपलब्ध करायी गयी। इससे उन्होंने अपने घर के पास नाश्ता की दुकान शुरू की। मालती देवी इस दुकान में लिट्टी, समोसा, चाउमीन, अंडा एवं चाय बेचने लगी। धीरे–धीरे दुकान की आमदनी बढ़ने लगी। अब वह इस दुकान से प्रति माह तकरीबन 5000 से 6000 रुपए की आमदनी अर्जित कर लेती है। इस राशि से वह न केवल अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छी तरह कर पा रही है बल्कि वह बचत कर अपनी दुकान का विस्तार भी कर रही है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से मालती दीदी का जीवन अब धीरे–धीरे पटरी पर आ रहा है। जीविका की मदद से उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं– आवास, राशन, पेंशन, बीमा आदि का लाभ मिला है। अब वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रही है ताकि वे अपना जीवन बेहतर बना सकें।

दूर हुए तेतरी दीदी के बुरे दिन

मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड अर्न्तगत अफजलनगर पंचायत की रहने वाली तेतरी देवी के पति मजदूरी करते थे। मजदूरी करने के दौरान ही एक दिन दुर्घटनावश उनके पति को बिजली का करंट लग गया। इससे उनके पति का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। परिस्थितिवश वे अपने हाथों से कोई भी काम करने में असमर्थ हो गए। इस घटना से तेतरी देवी का जीवन मुसीबतों से घिर गया। अब उनके घर कमाने वाला कोई नहीं रहा। परिणामस्वरूप घर की पूरी जिम्मेदारी तेतरी दीदी के ऊपर आ गई। अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिए उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इसी दौरान गांव में सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए अत्यंत निर्धन परिवारों की पहचान हेतु सर्वे किया जा रहा था। सामुदायिक संसाधन सेवियों की टीम ने तेतरी देवी की पहचान कर उनका नाम सूची में दर्ज कर लिया। ग्राम संगठन के अनुमोदन के उपरांत उन्हें इस योजना से जोड़ा गया। चयन के बाद उन्हें उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण दिया गया। तेतरी दीदी ने गाय पालन करने की इच्छा जाहिर की। तत्पश्चात योजना के तहत ग्राम संगठन के माध्यम से उन्हें नजदीकी हाट से गाय खरीद कर उपलब्ध कराया गया। तेतरी दीदी अब अपना सारा समय गाय पालन में लगाने लगी जिससे उन्हें आमदनी का साधन मिल गया। इस समय यह गाय प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध देती है, जिसे वह स्थानीय बाजार में 30 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचती है। इससे उन्हें प्रतिदिन लगभग 400 से 500 रुपये की आमदनी हो जाती है। उन्होंने इस आमदनी से एक और गाय खरीदी है। तेतरी दीदी के पास अब 2 गाय है। गाय पालन से उन्हें प्रति माह करीब 8 से 9 हजार रुपये की आमदनी हो जाती है। इससे तेतरी देवी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। अब वह गाय पालन से ही अपने घर के तमाम खर्चों को पूरा करती है। जीविका के सहयोग से उन्हें राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, बीमा आदि का लाभ भी प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर तेतरी दीदी ने अपना घर भी बनवा लिया है। जीविका के सहयोग से तेतरी देवी का परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है।

जीविका का मिला सहारा, अर्चना ने अपने जीवन को संवारा

अर्चना देवी का नाम उन महिलाओं में शुमार है, जिन्होंने सतत् जीविकोपार्जन योजना का सहारा लेकर अपने जीवन को संवारा है। परिस्थितिवश अर्चना पहले बेहद दयनीय स्थिति में अपने परिवार का जीवन–यापन करती थी। लेकिन सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से उन्होंने सूक्ष्म व्यवसाय प्रारंभ किया और अब वह स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुई है।

भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड स्थित बारा पंचायत के दुनियांचक गांव की रहने वाली अर्चना देवी के पास आमदनी का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। पति मजदूरी करते थे जिससे उनके परिवार का गुजारा होता था। इसी बीच एक दिन उनके पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। इलाज में काफी पैसा खर्च करने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पति की अचानक मौत एवं परिवार पर कर्ज के बोझ से अर्चना का जीवन भारी मुसीबतों से घिर गया था।

अर्चना की दुखद स्थिति को देखते हुए अक्टूबर 2019 में आदि शक्ति जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किया गया। योजना से जुड़ाव के बाद नवंबर 2019 में जीविका के द्वारा इनका क्षमतावर्द्धन किया गया। इससे इनके जीवन में आशा का संचार हुआ। अर्चना ने किराना व्यवसाय करने की इच्छा जताई। तदुपरांत सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिलाते हुए उन्हें जनवरी 2020 में विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये उपलब्ध कराए गए। इसके बाद ग्राम संगठन के द्वारा जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए परिसंपत्ति हस्तांतरित की गयी। इससे अर्चना ने किराना व्यवसाय प्रारंभ किया। साथ ही जीविकोपार्जन अंतराल सहायता निधि के तहत उन्हें सात माह तक प्रति माह एक–एक हजार रुपये प्रदान किए गए।

शुरुआत में वह दुकानदारी का हुनर नहीं जानती थी। लेकिन मास्टर संसाधन सेवी की मदद से वह किराना दुकान चलाना अच्छी तरह सीख गई है। शुरुआत में किराना दुकान में प्रत्येक दिन 400 से 500 रुपये की बिक्री होती थी। लेकिन धीरे–धीरे दुकान का विस्तार करने, प्रचार–प्रसार करने एवं अपने कुशल व्यवहार से अर्चना ने किराना दुकान की रोजाना बिक्री बढ़ाकर 1000–1200 रुपये कर ली। वर्तमान में उनकी दुकान में प्रतिदिन औसतन 1500 से 2000 रुपये की बिक्री हो जाती है। इस प्रकार किराना दुकान से वह औसतन 6 से 7 हजार रुपये की आय अर्जित कर लेती है। इन्हें योजना के तहत जीविकोपार्जन निवेश निधि की दूसरी किश्त भी प्राप्त हुई है। इस राशि से उन्होंने अपनी दुकान का विस्तार किया है। इनकी दुकान की कुल परिसंपत्ति बढ़कर 55,200 रुपये हो गई है। दुकान की कमाई से इन्होंने 9600 रुपये में एक सिलाई मशीन खरीदी है। अब वह किराना दुकान चलाने के साथ–साथ कपड़ों की सिलाई का काम भी करने लगी है। इससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। कपड़ों की सिलाई से वह प्रतिदिन औसतन 200 रुपये की आय अर्जित कर लेती है। इस प्रकार आय के इन साधनों से अर्चना के घर की आमदनी बढ़कर 10 से 11 हजार रुपये प्रति माह हो गई है। इससे उनका परिवार आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ है। उन्होंने 12,600 रुपये बचत कर अपने बैंक खाते में जमा किया है। जीविका की मदद से अर्चना को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं– शौचालय, राशन, विधवा पेंशन, आवास, बीमा आदि का लाभ मिला है। इस प्रकार सतत् जीविकोपार्जन योजना ने सहारा देकर अर्चना देवी के जीवन को खुशहाल बनाया है।

क्रम	जीविकोपार्जन के साधन	कुल परिसंपत्ति (रुपये में)	वर्ष बार औसत मासिक आय (रुपये में)			
			2020	2021	2022	2023
1	किराना दुकान	55,200	2,500	3,300	4,500	6,000
2	सिलाई मशीन	9,600	0	2,000	3,500	5,000
	कुल	64,800	2,500	5,300	7,200	11,000

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार